अध्याय–IV

निगरानी और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

अध्याय-IV: निगरानी और सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

4.1 अपशिष्ट प्रबंधन में निगरानी

4.1.1 स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम (आरएमए) 2009 की धारा 55 (3) के अनुसार, प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को एक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति का गठन करना चाहिए जो स्वच्छता और इसके संबद्ध मामलों से संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगी।

18 चयनित शहरी स्थानीय निकायों में से 12 में इन समितियों का गठन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (मार्च 2025) कि शहरी स्थानीय निकायों को स्वायत्त शासन द्वारा शासित किया जा रहा है और राजनीतिक कारणों से इन समितियों के गठन में कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं।

4.2 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियाँ

4.2.1 सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन न करना

एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल 2016 के पैरा 1.4.5.13 के अनुसार, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवहार में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां[1] ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए योगदान हेतु जन जागरूकता पैदा करने और जनता को शिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्कूली बच्चे सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियानों का प्राथमिक लक्ष्य होने चाहिए, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिनिधि हैं।

लेखापरीक्षा में पाया कि तीन शहरी स्थानीय निकायों (जयपुर, उदयपुर और किशनगढ़) ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान आईईसी गतिविधियां संचालित की, लेकिन 12 शहरी स्थानीय निकायों ने एमएसडब्ल्यूएम मैनुअल में परिकल्पित स्कूली बच्चों के माध्यम से 2017-18 से 2021-

[1] इन गतिविधियों में प्रिंट (पत्रिकाएं, पोस्टर, समाचार पत्र); ऑडियो-विजुअल (रेडियो जिंगल्स, टीवी विज्ञापन, लघु फिल्में, सीडी); इंटरनेट और पारस्परिक माध्यम आदि शामिल थे।

22 के दौरान कोई गतिविधि नहीं की। शेष जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में, जोधपुर ने केवल 2019-20 से 2021-22 के दौरान आईईसी गतिविधियों का संचालन किया, तथा बीकानेर और डूंगरपुर ने केवल 2021-22 के दौरान किया।

प्रत्येक माने जाने वाले सामाजिक समूह के लिए चल रही योजना या कार्यान्वयन चरण से संबंधित लक्षित संदेशों के एक सतत अभियान[2] के परिणामस्वरूप व्यवहार पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि 18 शहरी स्थानीय निकायों में से केवल छः[3] ने ऑडियो, विजुअल, मास कम्युनिकेशन और एडवोकेसी और आउटरीच गतिविधियां संचालित की। शेष 12 शहरी स्थानीय निकायों को ₹11.99 करोड़ की धनराशि अलग से आवंटित किए जाने के बावजूद भी इन शहरी स्थानीय निकायों ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान कोई आईईसी गतिविधियां संचालित नहीं की।

राज्य सरकार ने अवगत (मार्च 2025) कराया कि शहरी स्थानीय निकायों ने आईईसी के तहत विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार इन शहरी स्थानीय निकायों ने इन गतिविधियों पर व्यय किया है। ऐसा हो सकता है कि ये शहरी स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा को साक्ष्य पेश करने में विफल रहे।

यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा को ये साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराए कि इन शहरी स्थानीय निकायों ने आईईसी गतिविधियां संचालित की।

4.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया गया है। नमूना जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में से 12 में, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता गतिविधियों की योजना और निगरानी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, समर्पित

[2] मैनुअल 2016 के अनुच्छेद 1.4.5.13.1 ।

[3] शहरी स्थानीय निकाय बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ और उदयपुर।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद नमूना जांच किए गए 12 शहरी स्थानीय निकाय 2017-18 से 2021-22 के दौरान कोई भी सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संचालित करने में विफल रहे।

इसके अलावा, सामुदायिक जुड़ाव की इस कमी से प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन में जन जागरूकता और भागीदारी में बाधा उत्पन्न हुई।

सिफारिश:

1. सभी शहरी स्थानीय निकाय जन जागरूकता बढ़ाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित करें।

(सतीश कुमार गर्ग)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

जयपुर,
02 दिसम्बर 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
04 दिसम्बर 2025